निर्वाचन / अत्यावश्यक / फैक्स

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 90 /रा.नि.आ.-3/1510/2013
दिनांक 5-4-2013

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय)
उत्तराखण्ड।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–3: देहरादून।

विषयः– निर्वाचन अवधि में उम्मीदवारों के प्रचार–प्रसार तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण।

महोदय,

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन–2013 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आयोग द्वारा विगत में यथावश्यक आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका निर्वाचन हेतु अनुपालन कराना अनिवार्य है। अतः कृपया आयोग के तत्सम्बन्धी सभी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत वर्णित विषयों के सम्बन्ध में समय से प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचरण संहिता की प्रतिलिपि तथा आयोग द्वारा निर्धारित संलग्न घोषणा–पत्र उन्हें निर्वाचन चिह्न हस्तगत करते समय उपलब्ध करा दिये जायं। सभी प्रत्याशियों से निर्धारित घोषणा–पत्र भरवाकर निर्वाचन अधिकारी उसे अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा आयोग के आदेशों के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जायेगी। प्रसंगरत निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित रूपपत्र पर निर्वाचन में हुए व्यय का विवरण निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक से **तीस दिन** के भीतर आयोग के पत्र संख्या 1019/रा0नि0आ0–3/1258/2011 दिनांक 14.12.2012 के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाय तथा इस विषय में प्रत्याशियों के व्ययों पर कड़ी नजर रखी जाय ताकि उनके द्वारा किये गये सभी व्यय विवरण में सम्मिलित हो सके। प्रत्याशियों द्वारा इस सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से कार्यवाही न करना तथा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न करवाने के फलस्वरूप भारतीय दण्ड संहिता–1860 की धारा–171 के प्राविधानों की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित कर दिया जाय। इसी प्रकार निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संवाद अथवा मिथ्या कथन एवं निर्वाचन में असम्यक असर डालने तथा प्रतिरूपण के लिए प्रस्तावित दण्ड से भी उन्हें अवगत करा दिया जाय। आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत प्रत्याशियों के द्वारा मकान मालिक की सहमति के बिना उनके भवन, दीवार आदि पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना आदि प्रतिबन्धित हैं। इसी प्रकार किसी संस्था के होर्डिंग का भी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार हेतु बिना उनकी अनुमति के प्रयोग अनुचित है। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक प्रतिबन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में प्रत्याशियों को भलीभांति अवगत करा दें। यदि उक्त निर्देशों का किसी प्रत्याशी द्वारा उल्लंघन पाया जाय तो उसे पहली बार सचेत करते हुए आगाह किया जाय कि वह तत्काल इस निर्देश का पालन करे। यदि फिर भी उल्लंघन होता है तो सम्बन्धित धाराओं

क्रमशः..................2

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाय। इन निर्देशों का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारण भी कराया जाय। उक्त सभी समस्त कार्यवाही का दायित्व निर्वाचन अधिकारी का होगा और निर्देशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में आयोग में प्राप्त शिकायतों के सत्यापन पर निर्वाचन अधिकारी कर्तव्यभंग का दोषी माना जायेगा।

अतः उक्त समस्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

घोषणा–पत्र

मैं ..... जो कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... जिला.....के निर्वाचन–2003 में नगर प्रमुख/अध्यक्ष/सभासद/ सदस्य–पद/स्थान के लिए उम्मीदवार हूँ, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निर्वाचन के सिलसिले में भारत का संविधान/केन्द्र/प्रदेश के अधिनियमों/नियमावलियों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के उपबन्धों/आदेशों/निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त के उल्लंघन करने पर यथाविधि दण्डित होने/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अक्षमता के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/ होऊँगी।

उम्मीदवार का नाम/हस्ताक्षर

.....

उक्त घोषणा एवं प्रतिज्ञा मेरे समक्ष की गयी।

निर्वाचन अधिकारी